

29/5/24 पत्रावली घेरा 7 प्राची वकील उये। वकील  
प्राची ने प्रार्थना पत्र च्याय 212 RT. Act  
जरिण नोट-ड्रेस मे खारिण करने का निवेदन  
किया। जिस पर वकील प्राची को मुना गथा।  
प्राची वकील ने जाहीर किया कि प्रार्थना पत्र च्याय  
212 RT. Act भाग चलना नही चाहे है। उम्त प्रार्थना  
पत्र जरिण NOT-Fresh मे खारिण किया जावे। अतः  
प्रार्थना पत्र जरिण NOT-Fresh मे खारिण किया जाय है।  
पत्रावली कोसल शुधाट होम दाखिल इफ्तार हो व  
नाम से का हो।

(सहायक कलेक्टर, सांचीर  
(उपखण्ड अधिकारी, सांचीर)

NOT PLUS  
Amount